संख्याः3/ 2017/233/तीस-1-2017-5(47)/2013

प्रेषक,

मुहम्मद अख़लाक़ खॉ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-1 **लखनऊः दिनाँक 28 मार्च, 2017**

विषयः जनपद आजमगढ़ में उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशन के विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-812बी/डीए/पूर्व/16-09जेईटी/वि०/12-13, दिनांक 28 नवम्बर, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-7/1221/तीस-1-2014-5(47)/2013, दिनांक 17.12.2014 द्वारा जनपद आजमगढ़ में उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशन के विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य कराये जाने के आगणन के आधार पर निर्माण लागत के रूप में रू0 1331.44 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2014-15 में कतिपय शर्तो के अधीन प्रथम किश्त के रूप में रू0 532.576 लाख (रूपये पॉच करोड़ बत्तीस लाख सत्तावन हजार छः सौ मात्र) की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त की गयी है। उक्त के पश्चात शासनादेश संख्या-41/1439/तीस-1-2015-5(47)/2013 दिनांक 30.11.2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू० 532.576 लाख (रूपये पॉच करोड़ बत्तीस लाख सत्तावन हजार छः सौ मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इस प्रकार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अब तक कुल रू० 1065.152 लाख (रू० दस करोड़ पैसठ लाख पन्द्रह हजार दो सौ मात्र) की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। उक्त के पश्चात शासनादेश संख्या-24/2016/345/तीस-1-2016-5(47)/2013, दिनांक 07.04.2016 द्वारा मा० मंत्रिपरिषद के आदेश से जनपद आजमगढ़ में उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगत के बस स्टेशन के विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण की गतिशील प्रक्रिया में रू० 10.46 लाख की प्रारम्भिक लागत पर भवन के बाहर स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग का कार्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- अब प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा जनपद आजमगढ़ में उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगत के बस स्टेशन के विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु तृतीय किश्त

http://upsamadesh.up.nic.in

के रूप में रू० 266.288 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम के उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त जनपद आजमगढ़ में उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगत के बस स्टेशन के विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु स्वीकृत कुल लागत रू० 1341.90 लाख के सापेक्ष वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में निहित व्यवस्था के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु तृतीय किश्त के रूप में रू0 209.653 लाख (रूपये दो करोड़ नौ लाख पैसठ हजार तीन सौ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि योजना को अनुमोदित लागत में ही निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाय। उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को हस्तगत कराने के पश्चात यदि लागत में वृद्धि होती है तो उसे कार्यदायी संस्था अपने स्रोतों से वहन करेगी। शासन द्वारा उक्त बढ़ी हुई धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।

3- उक्त आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0 डिपाजिट आदि खाते में जमा नहीं की जायेगी।

4- भवन के निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित कराते हुए समयबद्ध रूप से कार्य पूरा कराया जाय। उपरोक्त सहित साथ ही गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय। भवन निर्माण सामग्री की अनुपातिक मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तर दायित्व कार्यदायी संस्था एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम का होगा। उक्त कराये जा रहे कार्यों की वर्तमान में तथा भविष्य में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो यह भी सुनिश्चित किया जायेगा।

5- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में दिये गये निर्देशों तथा इस संबंध में समय-समय पर दिये गये निर्देशो का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त व्यय के संबंध में शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

6- निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता एवं समयबद्दता अवश्य सुनिश्चित किये जाने का दायित्व उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, लखनऊ का होगा।

7- उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत किया जायेगा।

8- अन्य समस्त शर्ते पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-7/1221/तीस-1-2014-5(47)/2013, दिनांक 17.12.2014 के अनुरूप यथावत रहेंगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

9- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्ष 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंश पूंजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा।

10- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
ह०
(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)
विशेष सचिव।

संख्याः 3/2017/233/(1)/तीस-1-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।**
2. **महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।**
3. **मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।**
4. **प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।**
5. **प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ ।**
6. **वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ।**
7. **वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।**
8. **वित्त नियन्त्रक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ ।**
9. **नियोजन अनुभाग-4 ।**
10. **वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9/परिवहन अनुभाग-3।**
11. **निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन,लखनऊ।**
12. **गाई फाइल।**

आज्ञा से,
ह०
(सन्त लाल)
अनु सचिव।

http://finance.up.nic.in